

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान अन्जु आदि बनाम राजस्थान सरकार

वाद-पत्र संख्या - 273/2025

निर्णय दिनांक18.07.25.....

1. अन्जु पुत्री निजामुदीन जाति फकीर निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरु
2. असमती पुत्री रहमतुला जाति फकीर निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरु
3. तसलीम बानो पुत्री सलेमत बानो पुत्री रहमतुला जाति फकीर निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरु
4. दोलत पुत्री बानो पुत्री रहमतुला जाति फकीर निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरु
5. मदीना बानो पुत्री बानो पुत्री रहमतुला जाति फकीर निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरु
6. मोबिना बानो पुत्री सलेमत बानो पुत्री रहमतुला जाति फकीर निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरु
वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—::निर्णय::—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा भालेरी पटवार हल्का भालेरी तहसील तारानगर के खाता संख्या 274 खसरा सं. 193/1 तादादी 19.0434 हैक्ट., ख.नं. 194/1 तादादी 6.9674 हैक्ट. भूमि में सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी में वादीनी सं. 1 नाम खातून पुत्री निजामुदीन, वादीनी सं. 2 का नाम चुकिया पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 3 का नाम किस्मत पुत्री चिना पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 4 का नाम दोली पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 5 चमना पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 6 का नाम गुड्डी पुत्री चिना पुत्री रहमतुला अंकित है यही विवादित है। वादीनी सं. 1 का वास्तविक नाम अन्जु पुत्री निजामुदीन, वादीनी सं. 2 का वास्तविक नाम असमती पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 3 का वास्तविक नाम तसलीम बानो पुत्री सलेमत बानो पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 4 का वास्तविक नाम दोलत पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 5 का वास्तविक नाम मदीना बानो पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 6 का वास्तविक नाम मोबिना बानो पुत्री सलेमत बानो पुत्री रहमतुला है के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों ने वादीनी सं. 1 नाम खातून पुत्री निजामुदीन, वादीनी सं. 2 का नाम चुकिया पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 3 का नाम किस्मत पुत्री चिना पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 4 का दोली पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 5 चमना पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 6 का नाम गुड्डी पुत्री चिना पुत्री रहमतुला दर्ज कर दिया गया है जो गलत है उक्त खातेदारी के अलावा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेजात तथा रोही मौजा भांगेरा में वादीनी सं. 1 का नाम अन्जु पुत्री निजामुदीन, वादीनी सं. 2 का नाम असमती पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 3 का नाम तसलीम बानो पुत्री सलेमत बानो पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 4 का नाम दोलत पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 5 का नाम मदीना बानो पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 6 का नाम मोबिना बानो पुत्री सलेमत बानो पुत्री रहमतुला दर्ज है जो संलग्न प्रार्थना पत्र है। राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम व अन्य प्रमाण पत्र व रोही मौजा भांगेरा की जमाबंदी में अंकित नाम में भिन्नता होने से वादीगण को उक्त कृषिभूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादीनी सं. 1 खातून पुत्री निजामुदीन के स्थान पर अन्जु पुत्री निजामुदीन, वादीनी सं. 2 चुकिया पुत्री रहमतुला के स्थान पर असमती पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 3 किस्मत पुत्री चिना पुत्री रहमतुला के स्थान पर तसलीम बानो पुत्री सलेमत बानो पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 4 दोली पुत्री बानो पुत्री रहमतुला के स्थान पर दोलत पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 5 चमना पुत्री बानो पुत्री रहमतुला के स्थान पर मदीना बानो पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, वादीनी सं. 6 गुड्डी पुत्री चिना पुत्री रहमतुला के स्थान पर मोबिना बानो पुत्री सलेमत बानो पुत्री रहमतुला दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है जिसके लिए यह रिकार्ड दुरुस्ती वाद श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में तहसीलदार तारानगर के अनुसार वादीगण सं. 1 ता 6 के नाम अन्य दस्तावेजों यथा जमाबंदी रोही भांगेरा, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड में अन्जु पुत्री निजामुदीन, असमती पुत्री रहमतुला, तसलीम बानो पुत्री सलेमत बानो पुत्री रहमतुला, दोलत पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, मदीना बानो पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, मोबिना बानो पुत्री सलेमत पुत्री रहमतुला दर्ज है। वकील वादीगण द्वारा दिनांक 16.07.2025 को साक्ष्य करवाये गये।

Rajendra

वकील वादीगण सं. 1, 2 व 4 की ओर से शपथ पत्र दिनांक 16.07.2025 को प्रस्तुत किया गया जो प्रदर्श सं. 1, 7 व 9 है तथा साथ ही वादीगण सं. 1, 2 व 4 की ओर से मूल आधार कार्ड, पहचान पत्र, शपथ पत्र के संलग्न प्रस्तुत किये गये। उक्त वादीगण के बयान लेखबद्ध किये गये। लेखबद्ध बयानों के अनुसार वादीगण के नाम अन्जु पुत्री निजामुदीन, असमती पुत्री रहमतुला, तसलीम बानो पुत्री सलेमत बानो पुत्री रहमतुला, दोलत पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, मदीना बानो पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, मोबिना बानो पुत्री सलेमत पुत्री रहमतुला है। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादीगण के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया व लेखबद्ध बयानों तथा संलग्न दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड में वादीगण के नाम अन्जु पुत्री निजामुदीन, असमती पुत्री रहमतुला, तसलीम बानो पुत्री सलेमत बानो पुत्री रहमतुला, दोलत पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, मदीना बानो पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, मोबिना बानो पुत्री सलेमत पुत्री रहमतुला पाया जाता है। इस प्रकार वाद पत्र की पुष्टि होती है।

वर्णित विवेचन से यह प्रकरण पुष्ट एवं प्रमाणिक पाया जाता है अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि रोही मौजा भालेरी पटवार हल्का भालेरी तहसील तारानगर के खाता संख्या 274 खसरा सं. 193/1 तादादी 19.0434 हैक्ट., ख.नं. 194/1 तादादी 6.9674 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीगण का नाम खातून पुत्री निजामुदीन, चुकिया पुत्री रहमतुला, किस्मत पुत्री चिना पुत्री रहमतुला, दोली पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, चमना पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, गुड्डी पुत्री चिना पुत्री रहमतुला **Delete** कर इसके स्थान पर अन्जु पुत्री निजामुदीन, असमती पुत्री रहमतुला, तसलीम बानो पुत्री सलेमत बानो पुत्री रहमतुला, दोलत पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, मदीना बानो पुत्री बानो पुत्री रहमतुला, मोबिना बानो पुत्री सलेमत पुत्री रहमतुला अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलिय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/07/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(राजेश कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)